न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 28/2024

राजस्थान सरकार जरिये हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी

विनायक होटल एण्ड गैस हाउस, एन.एच. 08, लामाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री प्रशान्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 24.09.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान" के तहत दिनांक 18.09.2024 को अवैध गैस भण्डारण एवं व्यापार की सूचना पर हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) हमराह खान मोहम्मद खान, प्रवर्तन अधिकारी एन.एच. 08 स्थित विनायक होटल एण्ड गेस्ट हाउस, लामाना श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी के यहाँ जांच हेतु पहुँचे। मौके पर जांच के दौरान होटल के पीछे के हिस्से में दो छोटे स्टोर कमरों में एल.पी.जी. 19 किग्रा सिलेण्डर भरे पाए गये। मौके पर कालूराम चौधरी निवासी मकरेडा उपस्थित मिले। उनसे पूछने पर बताया कि यह सभी गैस सिलेण्डर उसके स्वयं के है। इन सिलेण्डरों में प्लान्ट से आने वाली गैस गाडियों में से घरेलू गैस सिलेण्डरो से गैस निकालकर भरता हूँ तथा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरो को 1100–1200 रूपये में अजमेर शहर में हलवाइयों को बेच देता हूँ। मौके पर श्री कालूराम द्वारा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों व घरेलू सिलेण्डरों के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा उसके द्वारा से आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक सिलेण्डरों व एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण उक्त गैस सिलेण्डर को राज हित में जब्त किया गया। मौके पर मैसर्स जेठाना इण्डेन ग्रामीण वितरक एजेन्सी के कार्मिक श्री दिनेश चौधरी को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	021864	BPCL	19.0	19.0	-

जिला कलक्टर
अजमेर

2	002174	IOCL	19.4	19.4	-
3	120175	IOCL	18.7	18.7	-
4	484330	IOCL	19.5	19.5	-
5	अपठनीय	BPCL	19.1	19.1	-
6	अपठनीय	BPCL	19.4	19.4	-
7	00486	BPCL	19.3	19.3	-
8	00915	BPCL	19.3	19.3	-
9	568253	IOCL	19.1	19.1	-
10	अपठनीय	IOCL	19.5	19.5	-
11	170026	IOCL	19.2	19.2	-
12	0010979	IOCL	19.1	19.1	-
13	अपठनीय	IOCL	18.8	18.8	-
14	अपठनीय	IOCL	19.3	19.3	-
15	अपठनीय	IOCL	19.5	19.5	-
16	286519	IOCL	19.4	19.4	-
17	009701	IOCL	19.1	19.1	-
18	अपठनीय	IOCL	19.0	19.0	-
19	0015135	IOCL	19.0	19.0	-
20	अपठनीय	IOCL	19.3	19.3	-
21	217175	IOCL	18.8	18.8	-
22	अपठनीय	IOCL	19.0	19.0	-

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

23	013938	IOCL	19.0	19.0	-
24	024930	IOCL	19.0	19.0	-
25	009813	IOCL	19.1	19.1	-
26	129591	IOCL	19.1	19.1	-
27	अपठनीय	IOCL	19.2	19.2	-
28	050084	IOCL	19.0	19.0	-
29	207765	IOCL	19.2	19.2	-
30	19180	IOCL	19.1	19.1	-
31	0555349	IOCL	19.2	19.2	-
32	01680	IOCL	19.0	19.0	-
33	187461	IOCL	19.0	19.0	-
34	048829	IOCL	19.1	19.1	-
35	020468	IOCL	19.6	19.6	-
36	अपठनीय	IOCL	19.0	19.0	-
37	019513	IOCL	19.1	19.1	-
38	63835	IOCL	15.8	15.8	-
39	4826	IOCL	8.4	8.4	-
40	006413	BPCL	19.1	19.1	-
41	0025876	BPCL	19.4	19.4	-
42	अपठनीय	BPCL	19.1	19.1	-
43	अपठनीय	BPCL	19.5	19.5	-

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

44	004561	BPCL	19.6	19.6	-
45	022456	HPCL	19.4	19.4	-
46	014141	HPCL	19.1	19.1	-
47	115547	HPCL	19.2	19.2	-

सिलेण्डरों को मैसर्स जेठाना इण्डेन ग्रामीण वितरक एजेन्सी के कार्मिक श्री दिनेश चौधरी को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 47 गैस सिलेण्डर (45 व्यावसायिक 19 किग्रा, 01 घरेलू 14.2 किग्रा, 01 व्यावसायिक 05 किग्रा) को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 18.09.2024 को अवैध गैस भण्डारण एवं व्यापार की सूचना पर हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) हमराह खान मोहम्मद खान, प्रवर्तन अधिकारी एन.एच. 08 स्थित विनायक होटल एण्ड गेस्ट हाउस, लामाना श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी के यहॉ जांच हेतु पहुॅचे। मौके पर जांच के दौरान होटल के पीछे के हिस्से में दो छोटे स्टोर कमरों में एल.पी.जी. 19 किग्रा सिलेण्डर भरे पाए गये। मौके पर कालूराम चौधरी निवासी मकरेडा उपस्थित मिले। उनसे पूछने पर बताया कि यह सभी गैस सिलेण्डर उसके स्वयं के है। इन सिलेण्डरों में प्लान्ट से आने वाली गैस गाडियों में से घरेलू गैस सिलेण्डरो से गैस निकालकर भरता हूँ तथा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरो को 1100—1200 रूपये में अजमेर शहर में हलवाइयों को बेच देता हूँ। मौके पर श्री कालूराम द्वारा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों व घरेलू सिलेण्डरों के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा उसके बयानों से आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलैण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी. जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 47 गैस सिलेण्डर (45 व्यावसायिक 19 किग्रा, 01 घरेलू 14.2 किग्रा, 01 व्यावसायिक 05 किग्रा) को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी से सिलेण्डर जब्त होना बताया गया है पूर्णत गलत है अप्रार्थी निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। अप्रार्थी निर्धन व्यक्ति है तथा बडी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी जब्तशुदा सिलेण्डर भी नहीं छुडाना चाहता है। अप्रार्थी को कोई आपत्ति

जिला कलक्टर
अजमेर

नहीं है कि जब्तशुदा सिलेण्डर को राजसात किये जाते है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 18.09.2024 को अवैध गैस भण्डारण एवं व्यापार की सूचना पर हेमन्त कुमार आर्य, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) हमराह खान मोहम्मद खान, प्रवर्तन अधिकारी एन.एच. 08 स्थित विनायक होटल एण्ड गेस्ट हाउस, लामाना श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी के यहाँ जांच हेतु पहुँचे। मौकें पर जांच के दौरान होटल के पीछे के हिस्से में दो छोटे स्टोर कमरों में एल.पी.जी. 19 किग्रा सिलेण्डर भरे पाए गये। मौके पर कालूराम चौधरी निवासी मकरेडा उपस्थित मिले। उनसे पूछने पर बताया कि यह सभी गैस सिलेण्डर उसके स्वयं के है। इन सिलेण्डरों में प्लान्ट से आने वाली गैस गाडियों में से घरेलू गैस सिलेण्डरो से गैस निकालकर भरना तथा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरो को 1100–1200 रूपये में अजमेर शहर में हलवाइयों को बेचना स्वीकार किया। मौके पर श्री कालूराम द्वारा उक्त व्यावसायिक सिलेण्डरों व घरेलू सिलेण्डरों के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये तथा उसके बयानों से आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में जब्तशुदा सिलेण्डर भी नहीं छुडाना चाहता है व अप्रार्थी को उक्त सिलेण्डर राजसात किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई है, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 18.09.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 47 गैस सिलेण्डर (45 व्यावसायिक 19 किग्रा, 01 घरेलू 14.2 किग्रा, 01 व्यावसायिक 05 किग्रा) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर